

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1183]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2014/ज्येष्ठ 13, 1936

No. 1183]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014/ JYAISTHA 13, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 2014

का.आ.1429 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उप-धारा (1) द्ववारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्निलिखित आदेश करती है अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) तीसरा आदेश, 2014 है।
 - (2) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 2. कंपनी विधि बोर्ड का क्षेत्राधिकार, शिक्तयां, प्राधिकार और कृत्य जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन नहीं कर दिया जाता है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड़ की उप-धारा (1) के अनुसरण में गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खण्ड (41) के प्रथम परंतुक के अधीन क्षेत्राधिकार, शिक्तयों, प्राधिकार और कृत्यों का निवंहन करेगा।

[फा. सं. 2/9/2014-सीएल-V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 2014

- **S.O. 1429(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-
- 1. (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Third Order, 2014.
 - (2) It shall come into force at once.
- 2. Jurisdiction, powers, authority and functions of Company Law Board.- Until the National Company Law Tribunal is constituted under section 408 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board of Company Law Administration constituted in pursuance of sub-section (1) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall exercise the jurisdiction, powers, authority and functions under the first proviso to clause (41) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

[F. No. 2/9/2014-CL-V] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.